

रज़िर्व बैंक के खिलाफ़ क्रिप्टो वनिमिय केंद्र एक साथ

चर्चा में क्यों?

बटिकॉइन से संबंधित किसी भी लेन-देन का समर्थन करने से बैंकों को रोकने से संबंधित हाल के नियमों से परेशान होकर भारतीय क्रिप्टोकॉइन्स वनिमिय केंद्रों (Crypto exchanges) ने कानूनी वकिलों का अनुसरण करने का फैसला किया है। अप्रैल में जारी भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के आदेश को चुनौती देने के लिये छह वनिमिय केंद्रों ने कानून का सहारा लिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, चार वनिमिय केंद्रों- कॉइन्डेल्टा (Coindelta), कोइनेक्स (Koinex), थ्रूबिट (Throughbit) तथा कॉइन्डिक्स (Coin DCX) ने रज़िर्व बैंक के खिलाफ़ संयुक्त रटि याचिका दायर की है।
- दो अन्य वनिमिय केंद्रों कॉइन्कोइल (CoinRecoil) तथा मनीट्रेड (Money Trade) कॉइन् ने भी रज़िर्व बैंक तथा केंद्र के खिलाफ़ दिल्ली उच्च न्यायालय में अलग-अलग मुकदमा दायर किया है।
- सुप्रीम कोर्ट में यह संयुक्त याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।
- यह याचिका रज़िर्व बैंक द्वारा दिये गए आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय में कॉइन्कोइल की याचिका अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत दायर की गई है, जो क्रमशः समान सुरक्षा तथा व्यापार की स्वतंत्रता का वर्णन करते हैं।
- अहमदाबाद स्थित इस वनिमिय केंद्र ने नियामक के खिलाफ़ कोई वैध कारण या तर्क संगतता दिये बिना नरिदेश पारित करने का मामला दर्ज किया।
- इसके अलावा यह याचिका क्रिप्टोकॉइन्स पर रज़िर्व बैंक के दशान-नरिदेशों को भी अनावश्यक मानती है।
- हालाँकि रज़िर्व बैंक के अनुसार यह नीतिआधारित नरिणय है।

क्रिप्टोकॉइन्स

- क्रिप्टोकॉइन्स, क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा है।
- यह पीयर-टू-पीयर (P2P) कैश सिस्टम है।
- क्रिप्टोकॉइन्स को डिजिटल वॉलेट में ही रखा जा सकता है।
- वास्तव में क्रिप्टो-कॉइन्स के इस्तेमाल के लिये बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की आवश्यकता नहीं होती।